यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

५५/18

46/08

तारीखरजू:–09.08.2018

उनवानः– राजीव कुमार बनाम अशोक कुमार वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे विध्न वाधा व खुर्द बुर्द करने पर आमदा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 10.09.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 403 रकवा 0.49 है0, ख0न0 438/999 रकवा 0.12, ख0न0 453 रकवा 0.48 है0,ख0न0 475 रकवा 0.85 है0, ख0न0 476 रकवा 0.15 है0, ख0न0 477 रकवा 0.54 है0, ख0न0 868 रकवा 0.35 है0, ख0न0 884 रकवा 0.01 है0, ख0न0 885 रकवा 1.11 है0 कुल किता 9 रकवा 4.10 ग्राम अनंतपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी के नोशनल शेयर की भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। आगामी सुनवाई तिथि पर दूसरे पक्ष को सुने जाने के उपरान्त स्थगन वावत निर्णय किया जावेगा।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.09.2018 को पेश हो।

2831
9/8/18

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी का जवाब पेश किया। जवाब शामिल किया। जवाब की नकल प्रार्थी वकील ने प्राप्त की। बहस वास्ते दिनांक 13.11.19 को पेश हो।

13.11.19

वकुलाय उप०। बहस हेतु समय चाहा। समय दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 16.12.19 को पेश हो।

16.12.19

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 22.1.20 को पेश हो।

22.1.20

~~वादी वकील~~/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी ...... [illegible] है।
पत्रावली मतानुसार दिनांक 24.1.20 को पेश हो

24.1.20

वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभय ने कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:25:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: